न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—68/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/68)

1. श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री देवाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाचक निवासी—ग्राम हाथीखेड़ा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री विजयसिंह पुत्र श्री समदा सिंह उम्र 55 वर्ष जाति रावत
2. श्री पन्नासिंह पुत्र श्री समदा सिंह उम्र 57 वर्ष जाति रावत

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2021 राजस्व वाद संख्या 151/2016

उपस्थितः—

1. श्री, कुलवंतसिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, बी.के. विजयवर्गीय ,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,2.

निर्णय

दिनांकः— 08.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 151/2016 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पंत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थीगण द्वारा इस वाद में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सहपाठी धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसका अपीलार्थी ने जवाब भी प्रस्तुत किया परंतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2000 द्वारा वादी का वाद खसरा नम्बर 439 व 443 पर वादी का स्वामित्व सिद्ध नहीं होने एवं शेष खसरा नम्बर 438, 440, 442 के संबंध में प्रत्यर्थीगण को पावंद किया उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिससे स्वीकार करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2001 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर वादी का वाद डिक्री किया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मंडल राजस्थान में अजमेर में प्रस्तुत की गई जिससे स्वीकार करते हुए निर्ण्य एवं डिक्री 27.1.2012 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.2.2001 को निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2000 को बहाल कर निर्णय की पुष्टि की गई उक्त निर्णय एवं डिक्री आज भी प्रभावी है, तथा वाद में वादी द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 439, 443 पर प्रतिवादीगण द्वार कब्जा करने का प्रयास करने बाबत अंकन किया है शेष खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार का कोई वाद कारण या कृत्य अंकन नहीं है ऐसी स्थिति में पुनः अन्य खसरा नम्बरों की आड में खसरा नम्बर 439, 443 जो कि प्रतिवादीगण की क्रय शुदा आराजी है के बाबत अनुतोष प्राप्त करने का अनुचित मंशा से उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है ऐसे में प्रकरण जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग व अनुचित मंशा से प्रकट किया जाना होता हो से धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाना चाहिए अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 151/2016 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 27.01.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व वाद में इस तथ्य की ओर अनदेखी की है कि राजस्व वाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर ही खातेदार काश्तकार होने पर अनुतोष प्रदत्त किया जाता है जबकि प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 439 व 443 के खातेदार काश्तकार होने बाबत कोई भी रेवेन्यू रिकार्ड एवं जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती विक्रय पत्र से प्रतिवादीगण का उक्त दोनों खसरा नम्बरों पर अधिकार मानते हुए वादी का वाद निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में राजस्व अभिलेखों के अनुसार ही अनुतोष प्रदत्त किया जाना चाहिए उक्त विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वादी का वाद खारिज करने का जो आदेश पारित किया विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज करने का आदेश दिनांक 27.01.2021 धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज करने का आदेश पारित किया है ना की धारा 11 सीपीसी के तहत उक्त आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा राजस्व अभिलेखों में खसरा नम्बर 439 व 443 वादी के नाम अंकित होने एवं पूर्व में पारित निर्णयों के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर का वादी से कब्जा प्राप्त किए बिना एवं राजस्व अभिलेखों में वादी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होते हुए प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त खसरा नम्बर से बेदखल किए जाने की धमकी दिनांक 10.5.2012 को देने से वादी को नया वाद कारण उत्पन्न होने से वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जो धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व प्रकरण संख्या 151/2016 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 27.01.2021 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आर0एल0आर 1998(1), 2010 डी0एल0जे0(एस.सी.) के न्यायिक दृष्टांतों को पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादी ने पूर्व खातेदार पांचूराम से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र मात्र 18 बिस्वा भूमि क्रय की थी लेकिन 18 बिस्वा भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र का अवलम्बन लेकर वादी प्रभूदयाल पूर्व खातेदार पांचूराम की 31 बिस्वा भूमि हड़पना चाहता है पूर्व खातेदार पांचूराम ने कुल 31 बिस्वा भूमि में से मात्र 18 बिस्वा भूमि का विक्रय वादी प्रभूदयाल को किया है एवं शेष 13 बिस्वा भूमि वर्तमान प्रतिवादीगण को पूर्व खातेदार पांचूराम द्वारा अंतरित की गई है जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सम्बक् रूप से डिक्री किया था लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 20.09.1986 के पंजीकृत विक्रय पत्र की उपक्षा कर उक्त दिनांक ही निष्पादित अपंजीकृत अनुबंध को अपने निर्णय का आधार बनाया है जबकि निर्विवादित रूप से अपंजीकृत अनुबंध से वादीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी बाबत् स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र पंजिकृत कराये जाने व प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने बाबत् सिविल वाद संख्या 47/2012, सिविल न्यायालय में अविधिक रूप से प्रस्तुत किया हुआ है, जिससे भी स्पष्ट है कि वर्तमान में वादी/अपीलार्थी उक्त भूमि का मालिक काबिज नहीं है तथा न ही उक्त खसरा नम्बर उसकी क्रय शुदा आराजी है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व वाद के तथ्यों को छिपाते हुए तथा पूर्व वाद के अंतिम निस्तारण दिनांक 27.01.2012 से छःमाह में ही दिनांक 31.07.2012 को नवीन वाद प्रस्तुत किया, जो स्पष्टतः अपीलार्थी की बदनीयति को प्रकट करता है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता है तथा अपीलार्थी को इकरारनामें से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 443 व 439 बाबत् कोई पंजिकृत विक्रय पत्र नहीं है, जबकि प्रत्थ्यार्थीगण के पास खसरा नम्बर 443 व 439 का पंजिकृत दस्तावेज अभिलेख पर मौजूद है, ऐसी स्थिति में केवल अपंजिकृत इकरारनामें के आधार पर अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। खसरा नम्बर 439 व 443 के सम्बन्ध में विवाद अंतिम रूप से राजस्व मण्डल राज.,अजमेर द्वारा विनिश्चत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पुनः इन खसरा नम्बर बाबत् कार्यवाही किया जाना न्याय के उद्देश्यो के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग के निवारण करने के लिए अर्न्तनिहित शक्ति के अन्तर्गत निस्तनीय है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय वाद कानूनन भी चलने योग्य नही है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– सीसीसी 2017(4) एस.सी.838, आरआरटी 2021(1)आरबी 535, आरआरटी 2011–12 (सपप) आरबी 667, आरएलडब्ल्यू 2003 (3) राज0 1891(बी).

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष ग्राम हाथीखेडा खाता नम्बर 240 नया 252

पुरा के खसरा नम्बर 259 रकबा 0–6–0 बीघा, खसरा नम्बर 438 रकबा 0–1–0 बीघा, खसरा नम्बर 439 रकबा 0–3–0 बीघा, खसरा नम्बर 440 रकबा 0–5–10 बीघा, खसरा नम्बर 442 रकबा 0–12–0 बीघा, खसरा नम्बर 443 रकबा 0–10–0 बीघा बाबत् वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया। वादी/अपीलांट द्वारा पूर्व में इन्ही खसरा नम्बरों बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया था, जिस बाबत् वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में कोई अंकन नहीं किया गया है। पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 20.09.1986 में प्रभुदयाल द्वारा 18 बिस्वा भूमि ही क्रय किया जाना स्पष्टतःउल्लेखित है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में यद्यपि नये नम्बर अंकित किये गये है लेकिन उक्त नये नम्बर का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। साबिक खसरा नम्बर नये क्षेत्रफल के अंकित होने से यह परिलक्षित होता है कि कुल 18 बिस्वा भूमि ही प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा क्रय की गयी थी। शेष भूमि बाबत् इकरारनामा किया गया। अपंजिकृत अनुबन्ध के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा खसरा नम्बर 439 व 443 के सम्बन्ध में विवाद अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पुनः इन खसरा नम्बर बाबत् कार्यवाही किया जाना न्याय व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व वाद के तथ्यों को छिपाते हुए तथा पूर्व वाद के अंतिम निस्तारण दिनांक 27.01.2012 को जाने के पश्चात् पुनः दिनांक 31.07.2012 को नवीन वाद प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत नहीं है तथा अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा वाद संख्या 151/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर